18648
17-11-09 17-11-09 23-11-09 27-11-09 27-11-09

Entered From Order Sheet Case No. 987/09 U/S 87of C.N.T. Act

न्यायालय श्री. डी. किस्कु

राज0पदा0 धनबाद.

मौजा कलाकुशमा 33495
थाना न0 12
अंचल धनबाद
जिला–धनबाद

17/11/09	न्यायालय, श्री डुड़का किस्कु, राजस्व पदाधिकारी, धनबाद। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के तहत वाद संख्या–987/2009 वादी:- श्रीमति बन्दना बनर्जी पति उत्तम कुमार बनर्जी, जाति ब्राह्मण, निवासी- निजग्राम, तालुकचापड़ा, थाना निरसा, जिला धनबाद। बनाम् प्रतिवादी: गोपाल धीवर पिता स्व. गणेश केवट वो युगल केवट उर्फ कड़ी केवट पिता स्व. कालाचान्द केवट, निवासी- निजग्राम। यह वाद दिनांक 16.4.2009 को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के तहत बन्दोवस्त कार्यालय, धनबाद में दायर किया गया था, तत्पश्चात् सुनवाई हेतु वाद इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी ने अपने वाद पत्र में दावा किया है कि मौजा कलाकुशमा थाना नं. 12, अंचल धनबाद, जिला धनबाद के

खाता	खेसरा	दर्ज रकवा	माँग रकवा
99/53	2916/2376	33 डी.	02डी.
	2917/2377	42 डी.	03डी.

विवादी जमीन मेरी खरीदगी सम्पति है जिसपर वादी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। लगान भी वादी द्वारा भुगतान की जाती है लेकिन हाल खाता प्रतिवादी के नाम से बन गया है। वादी ने इसके सुधार की प्रार्थना की है।

धनबाद (seal)
COURT FEE 2 Rs INDIA
COURT FEE 10
D. S. Saluja
Govt. S. V. Dhanbad
Lic. No. 2/C77
Computer Code No.-014

Serial No.	Date of order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with Date
1	2	3	4
	17/11/09	2. वादी द्वारा वाद पत्र की सभी त्रुटियों का निराकरण करने के पश्चात् वाद प्रविष्ट कर प्रतिवादी को सम्मन किया गया परन्तु प्रतिवादी की लगातार अनुपस्थिति के कारण वाद की कारवाई एकपक्षीय प्रारंभ की गई और वादी को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। वादी के गवाह उत्तम कुमार बनर्जी अपने ब्यान में कहा कि मैं इस वाद के वादी, प्रतिवादी एवं विवादी जमीन को जानता हूँ। विवादी जमीन वादी को केवाला द्वारा प्राप्त सम्पति है एवं क्रय के बाद से विवादी जमीन पर वादी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है लगान भी वादी द्वारा भुगतान की जाती है। वादी का दावा सही है। वादी ने केवाला संख्या 4494 दिनांक 15.5.07 की मूल प्रति मूल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। केवाला के अवलोकन से विदित होता है कि विक्रेता कौडी केवट पिता कालाचांद केवट वो गोपाल धीवर पिता गणेश केवट ने प्रासंगिक मौजा के साविक खाता नं. 53 साविक खेसरा 2376 एवं 2377 रकबा तीन कट्ठा यानि 4.95 डी. जमीन वन्दना बनर्जी पति उतम कुमार बनर्जी जाति ब्राहमण, निवासी- सालुकचापड़ा, थाना निरसा, जिला धनबाद को बेचा है। वादी द्वारा दाखिल प्रमाणों, गवाह के ब्यान के आधार पर वादी का दावा सही सिद्ध होता है,	

Date of order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with Date
2	3	4
17/11/09	3.) अस्तु निम्न आदेश पारित किया जाता है। **आदेश** ======== आदेश दिया जाता है कि मौजा कलाकुम्भा, थाना नं. 12, अंचल धनबाद, जिला धनबाद के हाल खाता 99 के हाल खेसरा 2916 रकवा 02 डी. एवं 2917 रकवा 03 डी. पर से पूर्व इन्द्राज प्रतिवादी के नाम से खारिज और वादी के दलील के चौहद्दी अनुसार खाता वादी चन्दना बनर्जी पति उत्तम कुमार बनर्जी जाति ब्राहमण, निवासी–सालुकचापड़ा, थाना निरसा, जिला धनबाद के नाम से दर्ज समझा जाय तथा हाल खेसरा 2916 एवं 2917 के अवशेष रकवा का इन्द्राज यथावत समझा जाय। वाद स्वीकृत। 17/11/09 राजस्व पदाधिकारी धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। सच्ची प्रतिलिपि	